



उत्तराखण्ड राज्य

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

नवाड़खेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी (नैनीताल)



05946—299616, 299615

E-Mail: hedegreeplan@gmail.com

पत्रांक: डिग्री प्लान / **4387** / 2023—24,

दिनांक: **20** अक्टूबर, 2023

सेवा में,

1. कुलसचिव,
राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड।
2. प्राचार्य,
राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य,
समस्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषय:- उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में उत्तराखण्ड शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार—प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी में निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2023 को आयोजित ऑनलाइन बैठक में उत्तराखण्ड शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत विभिन्न योजनाओं का प्रचार—प्रसार हेतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है।

तदक्रम में आप अपने—अपने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में “मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, देव भूमि उद्यमिता योजना एवं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना” एवं अन्य योजनाओं का महाविद्यालय के सूचनापट एवं वैबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र—छात्राएं, प्राध्यापक एवं अन्य जनमानस लाभन्वित हो सके।

संलग्नक:- संचालित योजनाओं का विवरण।

भवदीय,

(डॉ सी० डी० सूर्ठा)

निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)।

तददिनांकित

पृ०सं० :- डिग्री प्लान /

/ 2023—24

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

(डॉ सी० डी० सूर्ठा)

निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)।

उच्च शिक्षा विभाग में वर्तमान में संचालित विभिन्न विकासपरक, जनकल्याणकारी,स्वरोजगारपरक योजनाएं

क्रम संख्या	जनकल्याणकारी, स्वरोजगारपरक, विकासपरक, योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों एवं अधिनियमों का नाम	योजना का लाभ	पात्रता/ लाभार्थी कौन होगे	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया क्या होगी एवं कैसे होगी	अस्थार्थियों की पात्रता
					6
1	राज्य के मध्याची छात्रों योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों एवं अधिनियमों का नाम	50,000/- प्रति अस्थार्थी	राज्य लोक सेवा अयोग, समूह "क", एवं "ख", संघ लोक सेवा आयोग समूह "क" एवं "ख", एवं अस्टड फोर्सेस की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर तुके अस्थार्थियों को कोचिंग हेतु योजना	शासनदेश संख्या 782 दिनांक 10.08.2021 एवं शासनदेश संख्या 1334 दिनांक 10.12.2021 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित।	1-उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी या मूल निवास का प्रमाण पत्र 2.स्नातक /स्नातकोत्तर परीक्षाएं उत्तराखण्ड राज्य में अवधित शासकीय/मन्त्रिया प्राप्त, अशासकीय निजी शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।
	चयन प्रक्रिया – राज्य लोक सेवा अयोग, समूह "क", एवं "ख", संघ लोक सेवा आयोग समूह "क", एवं "ख", एवं अस्टड फोर्सेस की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण के 03 माह के भीतर आवेदन निर्धारित प्रारूप एवं नांचित अभिलेखों (स्तरम् 06 के अनुसार वांछित अभिलेख) के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय हळ्ड्वानी में प्रस्तुत किया जाना होगा। चयन प्रक्रिया –आवेदन पत्रों की निदेशालय स्तर पर प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त शासनदेशानुसार गठित समिति द्वारा राज्य लोक सेवा अयोग के प्रथम 100 अस्थार्थी एवं संघ लोक सेवा आयोग तथा आस्टड फोर्सेज से सभी अस्थार्थियों को वांचित अभिलेखों के जॉच उपरान्त धनराशि ६० ५० हजार शासन स्तर से निर्गत की जाती है। औन लाइन पोर्टल समर्थ के माध्यम से आवदेन हेतु प्रक्रिया गतिमान।	.आवेदन प्रक्रिया – राज्य लोक सेवा अयोग, समूह "क", एवं "ख", संघ लोक सेवा आयोग समूह "क", एवं "ख", एवं अस्टड फोर्सेस की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण के 03 माह के भीतर आवेदन निर्धारित प्रारूप एवं नांचित अभिलेखों (स्तरम् 06 के अनुसार वांछित अभिलेख) के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय हळ्ड्वानी में प्रस्तुत किया जाना होगा। चयन प्रक्रिया –आवेदन पत्रों की निदेशालय स्तर पर प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त शासनदेशानुसार गठित समिति द्वारा राज्य लोक सेवा अयोग के प्रथम 100 अस्थार्थी एवं संघ लोक सेवा आयोग तथा आस्टड फोर्सेज से सभी अस्थार्थियों को वांचित अभिलेखों के जॉच उपरान्त धनराशि ६० ५० हजार शासन स्तर से निर्गत की जाती है। औन लाइन पोर्टल समर्थ के माध्यम से आवदेन हेतु प्रक्रिया गतिमान।	3.परिवार की समस्त स्त्रीओं से कुल वार्षिक आय रु ५ लाख से अधिक न हो। 4.प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 03 माह के भीतर निर्धारित प्रारूप एवं वांचित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किया जाना होता है। 5.राज्य एवं केंद्र सरकार की किसी अन्य समकक्ष योजना का लाभ न लिया गया हो, का शपथ पत्र।		

~~संग्रह निवेदन~~

		प्रथम, हितीय एवं तृतीय क्रमशः 75,000 /-, 60,000 /-	के अनुसार जाँच कर्मेंटी द्वारा संकायवार स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रथम, हितीय एवं तृतीय की संस्कृत सूची शासन को प्रेषित।	किसी वर्ष में झाप कर आगली कक्षा में उक्त छात्र योजना के लिए अपात्र होंगे।	
4	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	शासकीय महाविद्यालयों/राज्य य विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक स्तर में अध्ययनरत प्रथम, हितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रत्येक वर्ष क्रमशः रु0 3,000 /-, 2,000 /- एवं 15,00 /- तथा स्नातकोत्तर स्तर में विषयवार सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, हितीय एवं तृतीय क्रमशः रु0 5,000 /-, 3,000 /- एवं 2,000 /- की प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी।	शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में अध्ययनरत प्रथम, हितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को वाले छात्र-छात्राओं का मनोबल बढ़ाने की भावना जागृत हेतु संचालित योजना।	शासनादेश संख्या 149416 दिनांक 25.08. 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित।	1-प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालय परिसरों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययनरत छात्रों पर लागू होंगे। 2-योजना में प्रथम, हितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले नियमित छात्र-छात्राओं को पृथक-पृथक छात्रवृत्ति प्रदान किया जायेगा। 3- योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपात्र होंगे। 4-योजना के अन्तर्गत स्नातक/ स्नातकोत्तर में सुधार परीक्षा, बैंक परीक्षा एवं किसी वर्ष में झाप कर अगली कक्षा में उक्त छात्र योजना के लिए अपात्र होंगे। 5- स्नातक स्तर पर चूनतम 75 प्रतिशत की उपस्थिति एवं चूनतम 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर 10 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्येक विद्यार्थी को रु 1500/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जायेगी।


उच्च शिक्षा नियंत्रण परिषद्, उत्तराखण्ड, इन्डिया (नियंत्रित)

<p>मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना</p> <p>शोध हेतु अनुदान राशि की अधिकतम सीमा ₹० १५ लाख तक होगी जिसे विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त २० प्रतिशत बढ़ाते हुए कुल रु० १८ लाख तक अनुमत्य किया जा सकता है।</p>	<p>उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गयी है।</p>	<p>1.आवेदन प्रक्रिया – राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक तथा संस्थागत रूप से अध्ययनरत छात्र-छात्राएं ।</p> <p>2.चयन प्रक्रिया– प्रस्तावित योजना हेतु राज्य स्तरीय राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ चयन एवं मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा ।</p>
<p>देवभूमि उद्यमिता, योजना ।</p> <p>ईडी०आ०ईआ०ई० अहमदाबाद के सहयोग से उद्यमिता एवं कौशल विकास संबंधित पाठ्यक्रम, गतिविधि एवं इंटर्नशिप को सम्मिलित करते हुए उद्यमिता कौशल, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना ।</p>	<p>महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राएं।</p> <p>अहमदाबाद के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित । विभिन्न महाविद्यालयों के ३००० से अधिक छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।</p>	<p>1-Sensitization workshops for Vice-Chancellors, Principals, Leading Education and Govt. Officials (One Workshop Every year).</p> <p>2-Boot Camps for college students to Business plan Creation at Institution Level (40 Boot Camps Yearly).</p>